भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं0- 139A/2017-18

रतन लाल टुडू **बनाम** 1.सोना मुर्मू 2.सालोय मुर्मू

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
29.12.17	(see below)	

29.12.17

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 790 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 139A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता रतन लाल टुडू पिता– चमरु टुडू, ग्राम–गमदेसाई, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च एवं उच्च शिक्षा हेतु क्रेता 1.सोना मुर्मू पति स्व0 धनुराम मुर्मू 2. सालोय मुर्मू, पिता स्व0 धनुराम मुर्मू, ग्राम–महेशकुदर, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला –खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
गमदेसाई	154	43	312	5.25डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता स्वंय जमावंदी रैयत है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 2.66 एकड़ जमीन है, जिसमें से 5.25 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.60.75 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'संथाल', जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 5.25डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।